

डिक्री मुकदमा इब्त्दाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

रतनलाल पुत्र रेवडया जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान ————— वादी

बनाम

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. रूपसिंह पुत्र गिराज | सभी जातियान मीना निवासीयान झारेडा |
| 2. हरभजन पुत्र मंगल | |
| 3. जगमोहन पुत्र मंगल | तहसील हिण्डौन जिला करौली |
| 4. पूरन पुत्र खिलौन | |
| 5. सुभयसिंह पुत्र खिलौन | |
| 6. बीरबल पुत्र खिलौन | |
| 7. राकेश पुत्र खिलौन | |
| 8. मु0 रेखा पुत्री खिलौन पत्नि बबलू जाति मीना निवासी जोधपुरा खिडखिडी
तहसील टोडाभीम जिला करौली | |
| 9. मु0 गौरन्ती पुत्री खिलौन पत्नि रामकेश जाति मीना निवासी मान्नौज
तहसील टोडाभीम जिला करौली | |
| 10. मु0 हेमन्ती पुत्री खिलौन पत्नि देशराज जाति मीना निवासी जोधपुरा
खिडखिडी तहसील टोडाभीम जिला करौली | |
| 11. मु0 मोहरबाई बेबा मनोहरी जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन
जिला करौली | |
| 12. दिलीप पुत्र मनोहरी | जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन |
| 13. गोविन्द पुत्र मनोहरी | जिला करौली राजस्थान |
| 14. नीरज पुत्र मनोहरी | |
| 15. तहसीलदार तहसील हिण्डौन (लैण्ड होल्डर) ————— प्रतिवादीगण | |

दावा बाबत् इस्तकरार हक,

मुकदमा नं0 87/2015

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे हाजिरी श्री
अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरू मिन जानिब मुदायलह

(2)

पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 1746 रकबा 0.15 है0, 1947 रकबा 0.11 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन का वादी रतनलाल पुत्र रेवड्या जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ किये जाते हैं तथा खसरा नम्बर 1937/3783 रकबा 0.05 है0, 1937/3782 रकबा 0.06 है0, 1937/3781 रकबा 0.07 है0, 1940 रकबा 0.20 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.38 है0 स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन का वादी रतनलाल पुत्र रेवड्या जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ किये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रतिवादी सं01 लगायत 14 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 1746 रकबा 0.15 है0, 1947 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1937/3783 रकबा 0.05 है0, 1937/3782 रकबा 0.06 है0, 1937/3781 रकबा 0.07 है0, 1940 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादी के हक,हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ~~28-2-2022~~
को यह डिक्री जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली